

न्यायालय (उपस्थित अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर))

पीठसीन अधिकारी :- राम मुख गुर्जर RAS

राजस्व वाद सं 163/12

वादी

बनाम

प्रतिवादी

त्रिजावनी पतिन नाथूलाल
जाहि कुमावर कुचामन

हीरालाल पुत्र नाथूलाल
जाहि कुमावर त्रिजावनी कुचामन

आदेश द्वारा 88 शालग्राम काबतकारी आदेश 1957

निर्णय

दिनांक 17.7.17

वादी के वाद का संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार है कि वादी त्रिजावनी पतिन नाथूलाल जाहि कुमावर त्रिजावनी कुचामन तहसील कुचामन जिला नागौर की रहने वाली है का नाम ग्राम सेरगोठ के खाल सं 342 में त्रिपुरेवी पतिन नाथूलाल जाहि कुमावर आदि है जहाँ सही नाम है। बखानमरि पहचान पर। आधा कर में सही नाम त्रिजावनी पतिन नाथूलाल जाहि कुमावर है इसलिए उस खाल में नाम नाम शायद सही नाम का रिकार्ड में डूकली करने के आदेश पर भरोसा वादीया का वाद दर्ज करीयर का तहसीलदार कुचामन सिटी के तहसील जाहि है की नाम पर सिटी के रिकार्ड में तहसीलदार कुचामन की नाम सिटी के रिकार्ड में डूकली करीयर त्रिजावनी पतिन नाथूलाल वादीया ने अपने नाम का रिकार्ड में डूकली करीयर तहसीलदार के रिकार्ड में डूकली करीयर वादी के वाद पर एक सामान्य दस्तावेज इत्यादि का उपयोग एवं मनन करने पर वादीया का वाद काबिल स्वीकार होने से स्वीकार कर आदेश किन प्रकार पाठि किया जाता है।

आदेश

ग्राम सेरगोठ सं कुचामन के खाल सं 342 में तह खालदार त्रिपुरेवी पतिन नाथूलाल जाहि कुमावर त्रिजावनी कुचामन की उगाह वादीया का सही नाम त्रिजावनी पतिन नाथूलाल जाहि कुमावर त्रिजावनी कुचामन हुकरत किया जा रही इसके खाल बहुरा रहेगा सिटी परी मरा जाकर डा. कि किया जाये रिकार्ड में अलग डूकली करीयर तहसीलदार त्रिजावनी पतिन नाथूलाल के नाम डूकली करीयर तहसीलदार

निर्णय दिनांक 17.7.17 का प्रमाण जमा

उपस्थित अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)